न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

08/2019

नवीन शर्मा पुत्र श्री प्रभा शंकर शर्मा प्लाट नं0 13, केशव नगर जयपुर रोड मालपुरा जिला–टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला–टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 25.04.2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को दिनांक 1–2–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया।

1–दिनांक 8–3–2017 को पेश किये गये रजि0 एडी0 शिकायत पत्र जिसका टेकिंग नम्बर A RR 545875833 IN है, के सम्बन्ध में तहसील–मालपुरा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी साहब मालपुरा द्वारा इस कम में निस्तारण हेतु की गई कार्यवाही का विवरण एक प्रमाणित प्रतिलिपि में उपलब्ध करावायें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र कमांक 302 दिनांक 11–4–2019 द्वारा पत्र लिखा जाकर जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने पत्र कमांक 1011–12 दिनांक 22–4–2019 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक को पत्र कमांक 357/पीए/19/ दिनांक 5–2–2019 से सूचना भिजवादी गई थी। जवाब के साथ प्रति पुनः प्रेषित की जा रही है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner